

संख्या 11013/11/93-स्था0॥क॥
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय
॥कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग॥

नई दिल्ली, दिनांक 25-10-93

कार्यालय शोपन

विषय:- भारत सरकार के सचिवों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सम्बद्धता ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 12 जुलाई, 1993 के कार्यालय शोपन सं० 11017/11/93-अ०भा०से०॥111॥ का हवाला देने का निर्देश हुआ है जिसमें प्रधान मंत्री के अनुमोदन से यह सूचित किया गया था कि सामान्य नीति के अन्तर्गत सरकार के सचिवों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों अथवा ऐसे समितियों में नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है जिनका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ अन्तरंग संबंध है । एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नीति, उनकी सेवा के प्रकार पर ध्यान दिए बिना विभागों के सचिवों पर लागू होगी ।

के. नटराजन
॥वी० नटराजन॥

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।